



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 6] नई दिल्ली, मार्च 3—मार्च 9, 2013, शनिवार/फाल्गुन 12—फाल्गुन 18, 1934
No. 6] NEW DELHI, MARCH 3—MARCH 9, 2013, SATURDAY/PHALGUNA 12—PHALGUNA 18, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग)

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2013

का.नि.आ. 12.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'ए' पद) पद भर्ती नियम, 2010, जहां तक इसका संबंध प्रशासनिक सहायक 'ए' के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय में प्रशासनिक सहायक 'ए' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(i) इन नियमों को रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'ए' पद) पद भर्ती नियम, 2013 है।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण व वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन और वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड या ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रशासनिक सहायक 'ए'	511* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	अचयन	18-27 वर्ष टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों आदि के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए प्रत्येक मामले में निर्णायक तारीख, पदों के विज्ञापन में विनिर्दिष्ट आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)

आवश्यक :

मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से कक्षा 12 उत्तीर्ण अथवा समतुल्य।

हां, जैसा स्तंभ 11 में निर्दिष्ट है

दो वर्ष

(7)

कम्प्यूटर पर कौशल परीक्षण मानक :
अंग्रेजी टंकण 35 शब्द प्रति मिनट की दर से हिन्दी टंकण
30 शब्द प्रति मिनट की दर से (निर्धारित समय- 10 मिनट)
(35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द
के लिए औसतन 5 की डिप्रेशन्स पर (10500
केडीपीएच/9000 केडीपीएच के बराबर हैं ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा
या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों
द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/
प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(10)

(11)

85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 15 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा

(i) विभागीय योग्यता परीक्षा के आधार पर 1800 रु. ग्रेड
वेतन वाले समूह 'ग' कर्मचारी जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा
समतुल्य हों और इस श्रेणी में 3 वर्षों की नियमित सेवा
की हो, दस प्रतिशत विभागीय परीक्षा द्वारा प्रोन्नति

(ii) पाँच प्रतिशत ऐसे समूह 'ग' कर्मचारी, जिन्होंने 1800 रु.
ग्रेड वेतन वाले पद में तीन साल की नियमित सेवा की हो,
चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा ।

प्रोन्नति :

(i) 1800 रु. ग्रेड वेतन वाले समूह 'ग' कर्मचारी जो 12वीं कक्षा पास अथवा
समतुल्य हों और इस श्रेणी में 3 वर्षों की नियमित सेवा की हो, और जिनके पास
सीधी भर्ती के विहित अर्हताएं या समतुल्य अर्हताएं हो, दस प्रतिशत विभागीय
परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा ।

टिप्पण 1 : परीक्षा के लिए योग्यता हेतु अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष है
(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष की आयु)
टिप्पण 2 : यदि उपलब्ध रिक्तियों से अधिक कर्मचारी परीक्षा में योग्य पाये
जाते हैं तो ऐसे अतिरिक्त कर्मचारियों पर आने वाले वर्षों में उत्पन्न होने वाली
रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे पहले परीक्षा उत्तीर्ण
करने वाले कर्मचारियों पर बाद में परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों से पहले विचार हो
जाये ।

(ii) पांच प्रतिशत ऐसे समूह 'ग' कर्मचारी, जिन्होंने 1800 रु. ग्रेड वेतन के पद
में तीन साल की नियमित सेवा की हो, चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा और
जिनके पास सीधी भर्ती के विहित अर्हताएं या समतुल्य अर्हताएं हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग
से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि और प्रोन्नति के लिए) :—

लागू नहीं होता ।

- संबंधित स्थापन या प्रयोगशाला का प्रधान —अध्यक्ष
- संबंधित स्थापन या प्रयोगशाला के दो ज्येष्ठ अधिकारी —सदस्य
- किसी अन्य स्थापन/प्रयोगशाला या मुख्यालय से एक
अधिकारी, जो संबंधित प्रयोगशाला/स्थापन के सदस्यों
के समतुल्य या उनसे ऊपर के रैंक का हो —सदस्य

[मिसिल सं. डीएचआरडी/76257/आर आर/प्रशासन/सी/पी/03]

एस. डी. भसौर, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE**(Department of Defence Research and Development)**

New Delhi, the 15th February, 2013

S.R.O. 12.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organization, Group 'C' (Administrative Assistant 'A' post) Recruitment Rules, 2010, in so far as it relates to the post of Administrative Assistant 'A', except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of Recruitment to the post of Administrative Assistant 'A' in the Ministry of Defence, the Department of Defence research and Development, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organization, Group 'C' (Administrative Assistant 'A' Post) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.—The number of posts, its classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (1) to (4) of the said schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age-limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation in age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Administrative Assistant 'A'	511*(2013) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200—20200 plus Grade Pay Rs. 1900	Non-selection	Between 18 and 27 years. Note 1. Relaxable for Government Servants upto 40 years in the case of general candidates and upper age

(6)

relaxable for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Ex-serviceman, etc as per orders of Central Government issued from time to time.

Note 2.—The crucial date for determination of the age-limit in the case of candidates shall be the last date of receipt of application from as specified in the advertisement of the posts.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
<p>Essential :</p> <p>1. 12th Class pass or equivalent from a recognised Board or University.</p> <p>Skill test norms on Computer :</p> <p>English Typing @ 35 words per minutes or Hindi Typing @ 30 words per minutes (Time allowed -10 minutes.)</p> <p>(35 words per minutes and 30 words per minutes correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word).</p>	yes, to the extent indicated on Col-11	Two years
<p>Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods</p>	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	
(10)	(11)	
<p>Eighty five percent by direct recruitment and fifteen percent by promotion.</p> <p>(i) Ten percent by promotion through Departmental examination from Group 'C' staff in the Grade Pay of Rs. 1800 and who possess 12th Class pass or equivalent qualifications and had rendered 3 years regular service in the grade on the basis of departmental qualifying examination.</p>	<p>Promotion :</p> <p>(i) 10% by promotion through Departmental Examination from Group 'C' staff in the Grade Pay of Rs. 1800 and who possess 12th Class pass or equivalent qualification and have rendered 3 years regular service in the grade and possessing the educational qualification prescribed for direct recruitment or equivalent qualification.</p>	

(10)	(11)
(ii) Five percent by promotion on the basis of selection from amongst Group 'C' employee who have rendered three years regular service in posts with the grade pay of Rs. 1800	<p>Note 1 : The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for Schedule Castes/Schedule Tribes).</p> <p>Note 2 : If more of such employees than the number of vacancies available are qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.</p> <p>(ii) Five percent by promotion on the basis of selection from amongst Group 'C' employees who have rendered three years regular service in posts with the Grade Pay of Rs. 1800 and possessing the educational qualification prescribed for direct recruitment or equivalent qualification.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
---	---

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee for consideration promotion and for confirmation consisting of :—	Not applicable.
1. Head of the concerned Establishment or Laboratory —Chairman	
2. Two senior officers of the concerned Establishment or Laboratory —Members	
3. An Officer from another Laboratory/ Establishment or Headquarters equivalent to or above the rank of the members of the concerned Laboratory/Establishment —Member	

[F. No. DHRD/76257/RRs/Admin/C/P/03]

S.D. BHASOR, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2013

का.नि.आ. 13.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय कैडेट कोर, अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम 31) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय कैडेट कोर (संशोधन) नियम, 2013 है ।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. राष्ट्रीय कैडेट कोर नियम, 1948 में,-
 - (i) नियम 5 के खंड (ख) में, '24 वर्ष की आयु के भीतर' शब्दों और अंकों के स्थान पर "26 वर्ष की आयु के भीतर" शब्द और अंक रखे जाएंगे;
 - (ii) नियम 12 के उपनियम (1) में निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
 - (1) "इन नियमों के भाग 7 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेना, नौसेना और वायु सेना राष्ट्रीय कैडेट कोर के सीनियर डिवीजन/सीनियर विंग में अभ्यावेदन के लिए स्वीकृत प्रत्येक व्यक्ति तीन वर्ष की कालावधि के लिए अभ्यावेशित किया जाएगा।"

(2) नियम 13 के उप-नियम (1) में “तीन वर्ष” शब्दों के स्थान पर “चार वर्ष” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 0946/री-एसटीआर/एनसीसीएचक्यू/पीएलजी]

एन. बी. मणी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 1, खण्ड 3 में सं. 289, तारीख 19 फरवरी, 1949 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और का.नि.आ. 57, तारीख 26 फरवरी, 1985 और का.नि.आ. 49, तारीख 7 जून, 2008 द्वारा उनमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए।

New Delhi, the 22nd February, 2013

S.R.O. 13.—In exercise of powers conferred by Section 13 of the National Cadet Corps Act, 1948 (Act XXXI of 1948), the Central Government hereby makes the following rules to amend the National Cadet Corps Rules, 1948, namely :—

1. (1) These rules may be called the National Cadet Corps (Amendment) Rules, 2013.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the National Cadet Corps Rules, 1948,—
 - (i) in rule 5, in clause (b), for the words and figures “under the age of 24 years” the words and figures “under the age of 26 years” shall be substituted;
 - (ii) in rule 12, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—
 - (1) “Subject to the provisions of Part VII of these Rules, every person accepted for enrolment in the Senior Division/Senior Wing of Army, Navel and Air National Cadet Corps Units shall be enrolled for a period of three years.
 - (2) in rule 13, in sub-rule (1) for the words “three years” the words “four years” shall be substituted.

[F. No. 0946/Re-Str/NCCHQ/Plg.]

N.B. MANI, Under Secy.

Note :—The Principal Rules was published in the Gazette of India, Part I, Section 3, vide number 289 dated 19th Feb., 1949 and subsequently amended by SRO 57 dated 26th Feb., 1985 and SRO 49 dated 07th June, 2008.

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2013

का.नि.आ. 14.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय वायु सेना समूह (‘ग’ और ‘घ’) अग्निशमन कर्मचारीवृन्द भर्ती नियम, 1990 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायुसेना समूह ‘ग’ पद कर्मचारीवृन्द पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायुसेना (समूह ‘ग’) अग्निशमन कर्मचारीवृन्द भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. स्टेशन अधिकारी	26* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनौद्योगिक, अनुसूचित	वेतन बैंड-1, 5200—20200 ₹ + ग्रेड वेतन 2800 ₹	अचयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्ति के मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(7)

(8)

(9)

आवश्यक :

(1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से कक्षा 12 उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता।

आयु : नहीं अर्हता : हाँ,
स्तंभ 11 में यथाविहित
सीमा तक

सीधे भर्ती हुए व्यक्तियों और अधिवर्षिता के पश्चात पुनर्नियोजित भूतपूर्व सैनिकों के लिए दो वर्ष।

(7)

- (2) रक्षा अग्निशमन अनुसंधान संस्थान, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली से ज्येष्ठ अग्निशमन पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम या राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर से सब-ऑफिसर पाठ्यक्रम या कोई अन्य मान्यताप्राप्त समरूप पाठ्यक्रम ।
- (3) सभी प्रकार के अग्निशमन, हौज फिटिंग और अग्निशमन साधित्रों और उपस्करों जैसे दमकल अनुयान, ट्रेलर फायर पंपों और फोम ब्रांच आदि के उपयोग और अनुरक्षण से सुपरिचित होना चाहिए ।
- (4) किसी मान्यताप्राप्त सिविल/रक्षा दमकल में पर्यवेक्षीय हैसियत में कम से कम तीन वर्ष की कालावधि के लिए सेवा की हो ।
- (5) शारीरिक रूप से स्वस्थ और कठिन कर्तव्यों का पालन करने में समर्थ होना चाहिए और उसने नीचे टिप्पण-1 में विनिर्दिष्ट परीक्षण उत्तीर्ण किया हो ।

या

समुचित व्यवसाय का भूतपूर्व सैनिक हो ।

(9)

प्रोन्नत या स्थानांतरित व्यक्ति परीवीक्षा पर नहीं रखे जाएंगे ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(10)

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या पुनर्नियोजन द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)

प्रोन्नति :

ऐसे लीडिंग फायरमैन जिनकी वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2000 रु. श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा हो एवं जिनके पास रक्षा अग्निशमन अनुसंधान संस्थान, रक्षा मंत्रालय, नई से ज्येष्ठ अग्निशमन पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम या राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर से सब-ऑफिसर पाठ्यक्रम की अर्हता हो। परन्तु ऐसे लीडिंग फायरमैन के लिए जो 01 सितम्बर 2008 [अर्थात् केन्द्रीय रक्षा सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008] के पूर्व भर्ती हुए हैं, ज्येष्ठ अग्निशमन पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम या सब-ऑफिसर पाठ्यक्रम की अनिवार्यता नहीं होगी ।

स्थानांतरण : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप या उच्च श्रेणियों में कार्य कर रहे ऐसे व्यक्तियों जिनके पास स्तंभ (7) में विनिर्दिष्ट अर्हताएं हैं ।

स्थानांतरण पर प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन : सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।

(11)

टिप्पण :

(1) पोषक प्रवर्ग के विभागीय अभ्यर्थी, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अर्हक नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए अर्हक नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(2) प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर, जिनके लिए ग्रेड वेतन बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

लागू नहीं होता।

1. विंग कमांडर या समतुल्य या ऊपर की पंक्ति का ऑफिसर —अध्यक्ष
2. स्क्वाड्रन लीडर या समतुल्य पंक्ति का ऑफिसर —सदस्य
3. प्रोन्नति करने वाले अनुभाग से असंबद्ध अपेक्षित तकनीकी ज्ञान रखने वाला कमीशंड ऑफिसर —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. लीडिंग फायरमैन	86* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनौद्योगिक, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 ₹ + ग्रेड वेतन 2000 ₹	अचयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

(6)

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्ति के मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)	(8)	(9)
<p>आवश्यक :</p> <p>(1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक उत्तीर्ण या समतुल्य।</p> <p>(2) रक्षा अग्निशमन अनुसंधान संस्थान, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली से साधारण अग्निशमन पाठ्यक्रम या राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर से सब-आफिसर पाठ्यक्रम या कोई अन्य मान्यताप्राप्त समरूप पाठ्यक्रम हो।</p> <p>(3) सभी प्रकार के अग्निशमन, हौज फिटिंग और अग्निशमन साधित्रों और उपस्करों जैसे दमकल अनुयान, ट्रेलर फायर पंपों और फोम ब्रांच आदि के उपयोग और अनुरक्षण से सुपरिचित हो।</p> <p>(4) किसी मान्यताप्राप्त सिविल या रक्षा दमकल में फायरमैन की हैसियत में कम से कम तीन वर्ष की कालाविधि के लिए सेवा की हो।</p> <p>(5) शारीरिक रूप से स्वस्थ और कठिन कर्तव्यों का पालन करने में समर्थ हो और उसने नीचे टिप्पण-1 में विनिर्दिष्ट परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।</p>	नहीं	<p>सीधे भर्ती हुए व्यक्तियों और अधिवर्षिता के पश्चात पुनर्नियोजित भूतपूर्व सैनिकों के लिए दो वर्ष।</p> <p>प्रोन्नत या स्थानांतरित व्यक्ति परीवीक्षा पर नहीं रखे जाएंगे।</p>
या		
समुचित व्यवसाय का भूतपूर्व सैनिक हो।		
वांछनीय :		
स्वतंत्र रूप से प्रशिक्षण देने, मार्गदर्शन करने और शिफ्ट के कार्यभार नियंत्रण करने का अनुभव हो।		

(10)

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या पुनर्नियोजन द्वारा सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)

प्रोन्नति :

ऐसे फायरमैन या अग्निशमन इंजन ड्राइवर जो वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु + ग्रेड वेतन 1900 रु श्रेणी में तीन वर्ष की निरंतर सेवा रखते हैं और विभाग द्वारा विहित व्यवसायिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के अध्यक्षीन हैं ।

स्थानांतरण : रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप या उच्च श्रेणियों में कार्य कर रहे ऐसे व्यक्तियों जिनके पास स्तंभ (7) में विनिर्दिष्ट अर्हताएं हैं ।

स्थानांतरण पर प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन : सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।

टिप्पण :

(1) पोषक प्रवर्ग के विभागीय अभ्यर्थी, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अर्हक नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए अर्हक नहीं होंगे । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

(2) प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर, जिनके लिए ग्रेड वेतन बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

- | | |
|--|----------|
| 1. विंग कमांडर या समतुल्य या ऊपर की पंक्ति का ऑफिसर | —अध्यक्ष |
| 2. स्क्वाड्रन लीडर या समतुल्य पंक्ति का ऑफिसर | —सदस्य |
| 3. प्रोन्नति करने वाले अनुभाग से असंबद्ध एवं अपेक्षित तकनीकी ज्ञान रखने वाले वाला कमीशंड ऑफिसर | —सदस्य |

(13)

लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. अग्निशमन इंजिन ट्राइवर	09* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनौद्योगिक, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 ₹ + ग्रेड वेतन 1900 ₹	अचयन	18 और 27 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्ति के मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)	(8)	(9)
आवश्यक :	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती हुए व्यक्तियों और अधिवर्षिता के पश्चात पुनर्नियोजित भूतपूर्व सैनिकों के लिए दो वर्ष। स्थानांतरित व्यक्ति परीवीक्षा पर नहीं रखे जाएंगे।
(1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रीकुलेशन या समतुल्य अर्हता।		
(2) भारी यान चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो और उसके पास विधिमान्य चलान अनुज्ञप्ति हो।		
(3) शारीरिक रूप से स्वस्थ और कठिन कर्तव्यों का पालन करने में समर्थ हो और उसने नीचे टिप्पण-1 में विनिर्दिष्ट परीक्षण उत्तीर्ण हो। या समुचित व्यवसाय का भूतपूर्व सैनिक हो।		
वांछनीय :		
(1) विभिन्न प्रकार के अग्निशमन साधित्रों के अनुरक्षण और प्रचालन से सुपरिचित हो।		
(2) किसी नियमित सिविल या रक्षा दमकल दल में फायरमैन श्रेणी-1 या ज्येष्ठ फायरमैन के रूप में कार्य करने का अनुभव।		
(3) रक्षा अग्निशमन अनुसंधान संस्थान, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली से साधारण अग्निशमन पाठ्यक्रम या राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर से सब-ऑफिसर पाठ्यक्रम या अन्य कोई मान्यताप्राप्त समरूप पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो।		

(10)

सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या पुनर्नियोजन द्वारा ।

(11)

स्थानांतरण :

रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप या उच्च श्रेणियों में कार्य कर रहे ऐसे व्यक्तियों जिनके पास स्तंभ (7) में विनिर्दिष्ट अर्हताएं हैं ।

स्थानांतरण पर प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन : सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।

टिप्पण :

(1) पोषक प्रवर्ग के विभागीय अभ्यर्थी, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होंगे । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

(2) प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर, जिनके लिए ग्रेड वेतन बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

1. विंग कमांडर या समतुल्य या ऊपर की पंक्ति का ऑफिसर —अध्यक्ष
2. स्क्वाड्रन लीडर या समतुल्य पंक्ति का ऑफिसर —सदस्य
3. प्रोन्नति करने वाले अनुभाग से असंबद्ध अपेक्षित तकनीकी ज्ञान रखने वाला कमीशंड ऑफिसर —सदस्य

(13)

लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. फायरमैन	317* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनौद्योगिक, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) ।

(6)

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियुक्ति के मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)

(8)

(9)

आवश्यक :

- (1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रीकुलेशन उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता।
- (2) किसी राज्य अग्निशमन सेवा या मान्यताप्राप्त प्रसिद्ध संस्थान से अग्निशमन का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।
- (3) सभी प्रकार के अग्निशमन, हौज फिटिंग और अग्निशमन सधित्रों और उपस्करों जैसे दमकल अनुयान, ट्रेलर फायर पंपों और फोम ब्रांच आदि के उपयोग और अनुरक्षण से सुपरिचित होना चाहिए।
- (4) शारीरिक रूप से स्वस्थ और कठिन कर्तव्यों का पालन करने में समर्थ होना चाहिए और उसने नीचे टिप्पण में विनिर्दिष्ट परीक्षण उत्तीर्ण हो।

या

समुचित व्यवसाय का भूतपूर्व सैनिक हो।

लागू नहीं होता

सीधे भर्ती हुए व्यक्तियों और अधिवर्षिता के पश्चात पुनर्नियोजित भूतपूर्व सैनिकों के लिए दो वर्ष।
स्थानांतरित व्यक्ति परीवीक्षा पर नहीं रखे जाएंगे।

वांछनीय :

- (1) विभिन्न प्रकार के अग्निशमन सधित्रों के अनुरक्षण और प्रचालन से सुपरिचित होना चाहिए।
- (2) किसी नियमित सिविल या रक्षा दमकल दल में फायरमैन श्रेणी-1 या ज्येष्ठ फायरमैन के रूप में कार्य करने का अनुभव।
- (3) रक्षा अग्निशमन अनुसंधान संस्थान, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली से साधारण अग्निशमन पाठ्यक्रम या राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर से सब-आफिसर पाठ्यक्रम या अन्य कोई मान्यताप्राप्त समरूप पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो।

(10)

सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन पर स्थानांतरण द्वारा ।

(11)

स्थानांतरण:

रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरूप या उच्च श्रेणियों में कार्य कर रहे ऐसे व्यक्तियों जिनके पास स्तंभ (7) में विनिर्दिष्ट अर्हताएं हैं ।

स्थानांतरण पर प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन : सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।

टिप्पण:

(1) पोषक प्रवर्ग के विभागीय अभ्यर्थी, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अर्हक नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए अर्हक नहीं होंगे । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

(2) प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर, जिनके लिए ग्रेड वेतन बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

1. विंग कमांडर या समतुल्य या ऊपर की पंक्ति का ऑफिसर —अध्यक्ष
2. स्क्वाड्रन लीडर या समतुल्य पंक्ति का ऑफिसर —सदस्य
3. प्रोन्नति करने वाले खंड से असंबद्ध अपेक्षित तकनीकी ज्ञान रखने वाले वाला कमीशंड ऑफिसर —सदस्य

(13)

लागू नहीं होता ।

टिप्पण-1**शारीरिक परीक्षा**

स्तंभ 7 एवं 11 के अधीन निर्दिष्ट शारीरिक उपयुक्तता आदि का परीक्षण निम्नानुसार है :

1. बिना जूता पहने ऊँचाई : 165 से.मी. अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को ऊँचाई में 2.5 से.मी. की छूट दी जा सकती है ।
2. छाती (बिना फुलाए) : 81.5 से.मी.
3. छाती (फुलाने पर) : 85.0 से.मी.
4. वजन : 50 किलोग्राम (न्यूनतम)

5. क्षमता परीक्षण

- (क) आदमी ढोना (फायरमैन द्वारा 63.5 किलो को 96 सेकेण्ड के भीतर 183 मीटर की दूरी तक उठाकर ले जाना) ।
 (ख) 2.7 मीटर चौड़ी खाई दोनो पैर से पार करना (लम्बी कूद) ।
 (ग) हाथ और पैर से 03 मीटर उर्ध्वाकार रस्सी पर चढ़ना ।

[फा. सं. वा.से.मु./23049/आर.आर./एफ.एफ./पी.सी.-4/33/आर.आर./13/रक्षा(नियुक्तियाँ)]
 के. के. दैमारी, अवर सचिव

New Delhi, the 26th February, 2013

S.R.O. 14.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Air Force (Group 'C' and Group 'D') Fire Fighting Staff Recruitment Rules, 1990, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts of the Fire Fighting Staff in Indian Air Force, Ministry of Defence, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Indian Air Force (Group 'C'), Fire Fighting Staff, Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay band, grade pay or scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the pay band, grade pay or scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age limit, qualification, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule annexed.

4. Disqualification. No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Schedule Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Station Officer	26* (2013) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Industrial, Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200—20200+ Grade Pay Rs. 2800	Non-selection	Not exceeding thirty five years. (Relaxable for Government servants upto forty years in the case of General candidates and fourty five years in the case of candidates belonging to Schedule Castes and Schedule Tribes).

(6)

Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
<p>Essential :</p> <p>(i) 12th pass or equivalent qualification from a recognised Board/University.</p> <p>(ii) Senior Fire Supervisors Course from Defence Institute of Fire Research, Ministry of Defence, New Delhi or the Sub Officers Course from the National Fire Services College, Nagpur or any other similar recognised course.</p> <p>(iii) Must be conversant with the use and maintenance of all types of extinguishers, Hose Fittings and Fire appliances and equipments like Fire Engines, Trailer Fire Pumps and Foam Branches etc.</p> <p>(iv) Must have served in a recognized Civil/ Defence Fire Brigades in a Supervisory capacity for a minimum period of Three years.</p>	<p>Age : No</p> <p>Qualification : Yes, to the extent as specified in Col. 11.</p>	<p>Two years for direct recruits and re-employment ex-service-man after superannuation. No probation for promotees/transferees.</p>

(7)

(v) Must be physically fit and capable of performing strenuous duties and must have passed the test specified in Note-1 below.

Or

Ex-serviceman of appropriate trade.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(10)

By promotion, failing which by transfer failing both by transfer on deputation/re-employment failing all by direct recruitment.

(11)

Promotion :

Leading Firemen in the Pay Band-1, Rs. 5200—20200 Grade Pay of Rs. 2000 with eight years regular service in the grade subject to possessing the qualification of Senior Fire Supervisors Course from Defence Institute of Fire Research, Ministry of Defence, New Delhi or the Sub-Officers Course from the National Fire Services College, Nagpur

Provided that for Leading Fireman who have been recruited prior to 1st September 2008 [i.e. before promulgation of CDS (RP) Rules 2008], the qualification of Senior Fire Supervisors Course or the Sub-Officers Course would not be mandatory.

Transfer :

Persons serving in similar, equivalent or higher grades in the lower formations of the Defence Services and possessing the qualifications specified in Col. 7.

Transfer on Deputation/Re-employment :

The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due on relief from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

Note :

(1) The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration of appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications).

(2) For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006/the date from which the revised pay

(11)

structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission. For the purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :—

Not applicable.

1. Officer of the rank of Wing Commander or equivalent or above —Chairman
2. Officer of the rank of Sqn. Leader or equivalent —Member
3. Commissioned Officer with requisite technical knowledge and not related with the section where promotions are to be made —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Leading Fireman	86* (2013) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Industrial, Non-Ministerial,	Pay Band-1, Rs. 5200—20200+ Grade Pay Rs. 2000	Non-selection	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants up to forty years in the case of General candidates and forty five years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu

(6)

and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)
<p>Essential :</p> <p>(i) Matriculation or equivalent qualification from a recognised Board/University.</p> <p>(ii) General Fighting Fire Course from Defence Institute of Fire Research, Ministry of Defence, New Delhi or the Sub-Officers Course from the National Fire Services Colleges, Nagpur or any other similar recognised course.</p> <p>(iii) Must be conversant with the use and maintenance of all types of extinguishers, Hose Fittings and Fire appliances and equipments like Fire Engines, Trailer Fire Pumps and Foam Branches etc.</p> <p>(iv) Must have served in a recognized Civil or Defence Fire Brigades as Fireman for a minimum period of three years.</p> <p>(v) Must be physically fit and capable of performing strenuous duties and must have passed the test specified in Note-1 below.</p> <p style="text-align: center;">Or</p> <p>Ex-serviceman of appropriate trade.</p>	No	Two years for direct recruits and re-employed ex-serviceman after superannuation. No probation for promotees/transferees.
<p>Desirable :</p> <p>Experience in imparting training, guiding and controlling the working charge of a shift, independently.</p>		
(10)	(11)	
<p>By promotion, failing which by transfer failing both by transfer on deputation/re-employment failing all by direct recruitment.</p>	<p>Promotion :</p> <p>Fireman or Fire Engine Driver in the Pay Band-1, Rs. 5200—20200 Grade Pay of Rs. 1900 with three years continuous service in the grade and subject to passing the prescribed departmental trade test.</p>	

(11)

Transfer :

Persons serving in similar, equivalent or higher grades in the lower formations of the Defence Services and possessing the qualifications specified in Col. 7.

Transfer on Deputation/Re-employment :

The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due on relief from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

Note :

(1) The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration of appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of the applications).

(2) For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission. For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)

(13)

Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :—

Not applicable.

- | | |
|---|-----------|
| 1. Officer of the rank of Wing Commander or equivalent or above | —Chairman |
| 2. Officer of the rank of Sqn. Leader or equivalent | —Member |
| 3. Commissioned Officer with requisite technical knowledge and not related with the section where promotions are to be made | —Member |

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Fire Engine Driver	9* (2013) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Industrial, Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200—20200+ Grade Pay Rs. 1900	Non-selection	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants up to forty years in the case of General candidates and forty five years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.
	(7)	(8)	(9)		
Essential :		Not applicable		Two years for direct recruits and re-employed ex-serviceman after superannuation. No probation for transferees.	
(i) Matriculation or equivalent qualification from a recognised Board/University.					
(ii) Must have at least three years experience of driving heavy vehicle and be in possession of valid driving license.					
(iii) Must be physically fit and capable of performing strenuous duties and must have passed the test specified in Note-1 below.					
Or					
Ex-serviceman of appropriate trade.					
Desirable :					
(i) Having experience in maintenance and operation of various types of Fire appliances.					

(7)

-
- (ii) Experience of having worked in a regular Civil or Defence Fire Brigade as Fireman Gd.-I or Senior Fireman.
 - (iii) Have passed the General Fire Fighting Course of Defence Institute of Fire Research, Ministry of Defence or Sub-Officers Course from National Fire Service College, Nagpur or any other similar recognised course.
-

(10)

By direct recruitment failing which by transfer failing both by transfer on deputation/re-employment.

(11)

Transfer :

Persons serving in similar, equivalent or higher grades in the lower formations of the Defence Services and possessing the qualifications specified in Col. 7.

Transfer on Deputation/Re-employment :

The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due on relief from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

Note :

(1) The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration of appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years, as on the closing date of receipt of the applications).

(2) For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission. For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :—	Not applicable.
1. Officer of the rank of Wing Commander or equivalent or above —Chairman	
2. Officer of the rank of Sqn. Leader or equivalent —Member	
3. Commissioned Officer with requisite technical knowledge and not related with the section where promotions are to be made —Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Fireman	317* (2013) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Industrial, Non-Ministerial	Pay Band-1, RS. 5200—20200+ Grade Pay RS. 1900	Not applicable	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants up to forty years in the case of General candidates and forty five years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)
Essential : (i) Matriculation or equivalent qualification from a recognised Board/University.	Not applicable	Two years for direct recruits and re-employed ex-serviceman after superannuation. No probation for transferees.

(7)

- (ii) Must have undergone training in Fire Fighting under a state fire service or a recognized institute of repute.
- (iii) Must be conversant with the use and maintenance of all types of extinguisher, Hose Fittings and Fire appliances and equipments like Fire Engines, Trailer Fire Pumps and Foam Branches.
- (iv) Must be physically fit and capable of performing strenuous duties and must have passed the test specified in Note-1 below.

Or

Ex-serviceman of appropriate trade.

Desirable :

- (i) Should be familiar with maintenance and operation of various types of Fire appliances.
- (ii) Experience of having worked in a regular Civil or Defence Fire Brigade as Fireman Gd.-I or Senior Fireman.
- (iii) Have passed the General Fire Fighting Course of Defence Institute of Fire Research, Ministry of Defence or Sub-Officers Course from National Fire Service College, Nagpur or any other similar recognised course.

(10)

By direct recruitment failing which by transfer failing both by transfer on deputation/ re-employment.

(11)

Transfer :

Persons serving in similar, equivalent or higher grades in the lower formations of the Defence Services and possessing the qualifications specified in Col. 7.

Transfer on Deputation/Re-employment :

The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due on relief from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

Note :

(1) The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration of appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of the application).

(11)

(2) For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission. For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)

(13)

Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :—

Not applicable.

- | | |
|---|-----------|
| 1. Officer of the rank of Wing Commander or equivalent or above | —Chairman |
| 2. Officer of the rank of Sqn. Leader or equivalent | —Member |
| 3. Commissioned Officer with requisite technical knowledge and not related with the section where promotions are to be made | —Member |

Note-1**Physical Examination**

Test as to physical fitness etc. referred to in Column 7 and 11 shall be as under :

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Height without shoes | 165 cms. provided that concession of 2.5 cms. in height shall be allowed for members of the Scheduled Tribes; |
| 2. Chest (non-expanded) | 81.5 cms. |
| 3. Chest (upon expansion) | 85 cms. |
| 4. Weight | 50 Kgs. minimum |
| 5. Endurance Test | (a) Carrying a man (fireman lift of 63.5 kgs. to a distance of 183 meters within 96 seconds)
(b) Clearing 2.7 meters wide ditch landing on both feet (long jumps)
(c) Climbing 3 meters vertical rope using hands and feet. |

[F. No. Air HQ/23049/RR/FF/PC-4/33/RR/13/D(Apptts.)]

K. K. DAIMARY, Under Secy.